



THE ASSAM GAZETTE

অসাধাৰণ

EXTRAORDINARY

প্ৰাপ্ত কৰ্তৃত্বৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত

PUBLISHED BY THE AUTHORITY

নং 524 দিশপুৰ, মঙ্গলবাৰ, 29 জুলাই, 2025, 7 শাওণ, 1947 (শক)

No. 524 Dispur, Tuesday, 29th July, 2025, 7th Sravana, 1947 (S. E.)

GOVERNMENT OF ASSAM

ORDERS BY THE GOVERNOR

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, ASSAM

NOTIFICATION

The 28th July, 2025

No. ELE. 92/2022/214.- The Election Commission of India's Order No.76/AS-LA/2021/CEMS-I, dated 15th July, 2025, is hereby published for general information.

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 76/AS-LA/2021/CEMS-I

Dated: 15th July, 2025
24 Ashadha, 1947 (Saka)

ORDER

WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Assam, 2021 for **83- Dhing** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/AS-LA/2021, dated 2nd March, 2021; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be a true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **83- Dhing** Assembly Constituency of Assam, 2021 was declared by the Returning Officer on 02nd May, 2021 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 01st June, 2021; and

WHEREAS, the Commission having regard to the then prevailing pandemic situation of Covid-19, decided to condone any incidence of late submission of account by candidate till 31st July, 2021; and

WHEREAS, as per the report dated 24.08.2021 of **DEO, Nagaon** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 received through the CEO, Assam vide his letter no. ELE..283/2021/58, dated 15.09.2021 stating that **Md. Anjar Hussain**, a contesting candidate from **83- Dhing** Assembly Constituency in General Election to Legislative Assembly of Assam, 2021 has failed to lodge the account of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on basis of the said report of the District Election Officer, a 'Show-Cause Notice' No. 76/AS-LA/83/2021/CEMS-I, dated 14th October, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Md. Anjar Hussain**, for not lodging of the account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said 'Show Cause Notice' and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Md. Anjar Hussain** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of his election expenses with the District Election Officer, **Nagaon** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the **DEO, Nagaon** has reported that the said 'Show Cause Notice' was served to **Mujuhidul Islam** (brother of **Md. Anjar Hussain**) on **04.01.2022**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Nagaon** in his Supplementary Report no. NE.13/2020/Pt.III/82; dated 10.05.2022 and subsequent Supplementary Report no. NE.13/2020/Pt.III/142; dated 27.02.2025 on account of the candidate received through CEO, Assam letter No. ELE.323/2021/308; dated 12.05.2022 and letter No. ELE.92/2022/142; dated 17.03.2025 respectively has reported that **Md. Anjar Hussain** has not submitted any representation or statement of account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Md. Anjar Hussain** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(c) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act, and

(d) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on basis of the facts and available records, the Commission is satisfied that **Md. Anjar Hussain** has failed to lodge the account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Md. Anjar Hussain**, resident of **PO-Januguri, Dist:- Nagaon, Pin-782122, Assam** and a contesting candidate in **83-Dhing** Assembly Constituency of G.E. to LA of Assam, 2021, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

(RAKESH KUMAR)
SECRETARY

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

सं. 76/एस-एलए/2021/सीईएमएस-1

दिनांक: 15 जुलाई, 2025

24 आषाढ़, 1947 (शक)

आदेश

यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 464/एस-एलए/2021 दिनांक 02 मार्च, 2021 के अनुसरण में 83-टिंग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए असम विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2021 आयोजित किया गया था: और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी: और

यतः, असम के 83-टिंग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2021 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 02 मई, 2021 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 01 जून, 2021 थी: और

यतः, आयोग ने कोविड-19 की तत्कालीन वैश्विक महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अभ्यर्थी द्वारा 31 जुलाई, 2021 तक विलंब से लेखा प्रस्तुत करने के किसी भी मामले को माफ करने का निर्णय लिया: और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, असम से उनके दिनांक 15.09.2021 के पत्र सं. E.L.E.283/2021/58, के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, नगाँव की दिनांक 24.08.2021 की रिपोर्ट के अनुसार, मो. अंजर हुसैन, जो असम के 83-टिंग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2021 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं: और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नगाँव की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत मो. अंजर हुसैन को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/एस-एलए/83/2021/सीईएमएस-1, दिनांक 14.10.2021 को जारी किया गया था: और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत मो. अंजर हुसैन को लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, नगाँव जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था: और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नगाँव ने अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस मुजुहीदुल इस्लाम (मो. अंजर हुसैन का भाई) को दिनांक 04.01.2022 को तामील किया गया था और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नगाँव ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट पत्र संख्या NE.13 2020 Pt.III/82, दिनांक 10.05.2022 एवं अनुपूरक रिपोर्ट के बाद की रिपोर्ट पत्र संख्या NE.13 2020 Pt.III 142, दिनांक 27.02.2025 द्वारा अग्रेषित जो कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, असम के पत्र सं. ELE.323 2021 308, दिनांक 12.05.2022 एवं पत्र सं. ELE.92/2022/142, दिनांक 17.03.2025 द्वारा प्राप्त हुई है, उसमें सूचित किया है कि मो. अंजर हुसैन ने निर्वाचन व्यवस्था के लेखों का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, मो. अंजर हुसैन ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखों दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

" यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्यवस्थाओं का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरहित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित होगा।"

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि मो. अंजर हुसैन अपने निर्वाचन व्यवस्था के लेखों दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि असम के 83-टिंग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2021 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी मो. अंजर हुसैन, निवासी- पोस्ट ऑफिस जामुगुरी, जिला-नगाँव, पिन - 782122, असम, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित होंगे।

(राकेश कुमार)
सचिव

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 76/AS-LA/2021/CEMS-I

Dated:

15th July, 2025
24 Ashadha, 1947 (Saka)

ORDER

WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Assam, 2021 for **85- Rupahihat** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/AS-LA/2021, dated 2nd March, 2021; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be a true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **85- Rupahihat** Assembly Constituency of Assam, 2021 was declared by the Returning Officer on 02nd May, 2021 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 01st June, 2021; and

WHEREAS, the Commission having regard to the then prevailing pandemic situation of Covid-19, decided to condone any incidence of late submission of account by candidate till 31st July, 2021; and

WHEREAS, as per the report dated 05.06.2021 of **DEO, Nagaon** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 received through the CEO, Assam vide his letter no. ELE..283/2021/58, dated 15.09.2021 stating that **Jinnatul Islam**, a contesting candidate from **85- Rupahihat** Assembly Constituency in General Election to Legislative Assembly of Assam, 2021 has failed to lodge the account of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on basis of the said report of the District Election Officer, a 'Show-Cause Notice' No. 76/AS-LA/85/2021/CEMS-I, dated 14th October, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Jinnatul Islam**, for not lodging of the account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said 'Show Cause Notice' and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Jinnatul Islam** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of his election expenses with the District Election Officer, **Nagaon** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the **DEO, Nagaon** has reported that the said 'Show Cause Notice' was served to **Jinnatul Islam** on **04.01.2022**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Nagaon** in his Supplementary Report no. NE.13/2020/Pt.III/82; dated 10.05.2022 and subsequent Supplementary Report no. NE.13/2020/Pt.III/142; dated 27.02.2025 on account of the candidate received through CEO, Assam letter No. ELE.323/2021/308; dated 12.05.2022 and letter No. ELE.92/2022/142; dated 17.03.2025 respectively has reported that **Jinnatul Islam** has not submitted any representation or statement of account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Jinnatul Islam** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(e) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act, and

(f) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on basis of the facts and available records, the Commission is satisfied that **Jinnatul Islam** has failed to lodge the account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Jinnatul Islam**, resident of **Vill-Maheripar, P/o Kaliadinga, P/s-Juria, Dist:- Nagaon, Pin-782128, Assam** and a contesting candidate in **85-Rupahihat** Assembly Constituency of G.E. to LA of Assam, 2021, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

(**RAKESH KUMAR**)
SECRETARY

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

सं. 76/एस-एलए/2021/सीईएमएस-1

दिनांक: 15 जुलाई, 2025

24 आषाढ़, 1947 (शक)

आदेश

यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 464/एस-एलए/2021 दिनांक 02 मार्च, 2021 के अनुसरण में 85-रूपोहिहट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए असम विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2021 आयोजित किया गया था: और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी: और

यतः, असम के 85-रूपोहिहट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2021 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 02 मई, 2021 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 01 जून, 2021 थी: और

यतः, आयोग ने कोविड-19 की तत्कालीन वैश्विक महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अभ्यर्थी द्वारा 31 जुलाई, 2021 तक विलंब से लेखा प्रस्तुत करने के किसी भी मामले को माफ करने का निर्णय लिया: और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, असम से उनके दिनांक 15.09.2021 के पत्र सं. ELE.283/2021/58, के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, नगाँव की दिनांक 05.06.2021 की रिपोर्ट के अनुसार, जिन्नातुल इस्लाम, जो असम के 85-रूपोहिहट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2021 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं: और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नगाँव की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत जिन्नातुल इस्लाम को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/एस-एलए/85/2021/सीईएमएस-1, दिनांक 14.10.2021 को जारी किया गया था: और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, जिन्नातुल इस्लाम को लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, नगाँव जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था: और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नगाँव ने अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस जिन्नातुल इस्लाम को दिनांक 04.01.2022 को तामील किया गया था: और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नगाँव ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट पत्र संख्या NE.13/2020/Pl.III/82, दिनांक 10.05.2022 एवं अनुपूरक रिपोर्ट के बाद की रिपोर्ट पत्र संख्या NE.13/2020/Pl.III/142, दिनांक 27.02.2025 द्वारा अग्रेषित जो कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, असम के पत्र सं. ELE.323/2021/308, दिनांक 12.05.2022 एवं पत्र सं. ELE.92/2022/142, दिनांक 17.03.2025 द्वारा प्राप्त हुई है, उसमें सूचित किया है कि जिन्नातुल इस्लाम ने निर्वाचन व्यय के लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, जिन्नातुल इस्लाम ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है: और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

.. यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरहित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित होगा।

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि जिन्नातुल इस्लाम अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है: और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि असम के 85-रूपोहिहट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2021 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, जिन्नातुल इस्लाम, निवासी- गाँव माहेरिपर, पोस्ट ऑफिस कालीयाडिंगा, पुलिस स्टेशन- जुरिया, जिला-नगाँव, पिन - 782128, असम, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित होंगे।

(राकेश कुमार)
सचिव

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 76/AS-LA/2021/CEMS-I

Dated: 15th July, 2025
24 Ashadha, 1947 (Saka)

ORDER

WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Assam, 2021 for **85- Rupahihat** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/AS-LA/2021, dated 2nd March, 2021; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be a true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **85- Rupahihat** Assembly Constituency of Assam, 2021 was declared by the Returning Officer on 02nd May, 2021 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 01st June, 2021; and

WHEREAS, the Commission having regard to the then prevailing pandemic situation of Covid-19, decided to condone any incidence of late submission of account by candidate till 31st July, 2021; and

WHEREAS, as per the report dated 05.06.2021 of **DEO, Nagaon** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 received through the CEO, Assam vide his letter no. ELE.283/2021/58, dated 15.09.2021 stating that **Abu Shama**, a contesting candidate from **85- Rupahihat** Assembly Constituency in General Election to Legislative Assembly of Assam, 2021 has failed to lodge the account of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on basis of the said report of the District Election Officer, a 'Show-Cause Notice' No. 76/AS-LA/85/2021/CEMS-I, dated 14th October, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Abu Shama**, for not lodging of the account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said 'Show Cause Notice' and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Abu Shama** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of his election expenses with the District Election Officer, **Nagaon** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the **DEO, Nagaon** has reported that the said 'Show Cause Notice' was served to **Faizun Nehar** (brother of **Abu Shama**) on 03.01.2022; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Nagaon** in his Supplementary Report no. NE.13/2020/Pt.III/82; dated 10.05.2022 and subsequent Supplementary Report no. NE.13/2020/Pt.III/142; dated 27.02.2025 on account of the candidate received through CEO, Assam letter No. ELE.323/2021/308; dated 12.05.2022 and letter No. ELE.92/2022/142; dated 17.03.2025 respectively has reported that **Abu Shama** has not submitted any representation or statement of account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Abu Shama** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(g) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act, and

(h) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on basis of the facts and available records, the Commission is satisfied that **Abu Shama** has failed to lodge the account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Abu Shama**, resident of **Vill-Maheripar, PO-Kaliadinga, P.S-Juria, Dist:- Nagaon, Pin-782128, Assam** and a contesting candidate in **85-Rupahihat** Assembly Constituency of G.E. to LA of Assam, 2021, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

(RAKESH KUMAR)
SECRETARY

भारत निर्वाचन आयोग ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

सं. 76/एस-एलए/2021/सीईएमएस-1

दिनांक:

15 जुलाई, 2025

24 आषाढ़, 1947 (शक)

आदेश

यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 464/एस-एलए/2021 दिनांक 02 मार्च, 2021 के अनुसरण में 85-रूपोहिहट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए असम विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2021 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, असम के 85-रूपोहिहट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2021 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 02 मई, 2021 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 01 जून, 2021 थी; और

यतः, आयोग ने कोविड-19 की तत्कालीन वैश्विक महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अभ्यर्थी द्वारा 31 जुलाई, 2021 तक विलंब से लेखा प्रस्तुत करने के किसी भी मामले को माफ करने का निर्णय लिया; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, असम से उनके दिनांक 15.09.2021 के पत्र सं. ELE.283/2021/58, के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, नगाँव की दिनांक 05.06.2021 की रिपोर्ट के अनुसार, अबू शामा, जो असम के 85-रूपोहिहट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2021 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नगाँव की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत अबू शामा को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/एस-एलए/85/2021/सीईएमएस-1, दिनांक 14.10.2021 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, अबू शामा को लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, नगाँव जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नगाँव ने अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस फेब्रुअरी (अबू शामा का भाई) को दिनांक 03.01.2022 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नगाँव ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट पत्र संख्या NE.13/2020/Pt.III/82, दिनांक 10.05.2022 एवं अनुपूरक रिपोर्ट के बाद की रिपोर्ट पत्र संख्या NE.13/2020/Pt.III/142, दिनांक 27.02.2025 द्वारा अग्रेषित जो कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, असम के पत्र सं. ELE.323/2021/308, दिनांक 12.05.2022 एवं पत्र सं. ELE.92/2022/142, दिनांक 17.03.2025 द्वारा प्राप्त हुई है, उसमें सूचित किया है कि अबू शामा ने निर्वाचन व्यय के

लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, अबू शामा ने विधि: ५ अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“ यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरहित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित होगा।”

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि अबू शामा अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि असम के 85-रूपोहिहट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2021 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, अबू शामा, निवासी- गाँव माहेरिपर, पोस्ट ऑफिस कालीयाङ्गिगा, पुलिस स्टेशन- जुरिया, जिला- नगाँव, पिन – 782128, असम, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित होंगे।

(राकेश कुमार)

सचिव

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 76/AS-LA/2021/CEMS-I

Dated: 15th July, 2025
24 Ashadha, 1947 (Saka)

ORDER

WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Assam, 2021 for **86- Nowgong** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/AS-LA/2021, dated 5th March, 2021; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be a true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **86- Nowgong** Assembly Constituency of Assam, 2021 was declared by the Returning Officer on 02nd May, 2021 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 01st June, 2021; and

WHEREAS, the Commission having regard to the then prevailing pandemic situation of Covid-19, decided to condone any incidence of late submission of account by candidate till 31st July, 2021; and

WHEREAS, as per the report dated 07.06.2021 of **DEO, Nagaon** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 received through the CEO, Assam vide his letter no. ELE..283/2021/58, dated 15.09.2021 stating that **Jiabur Rahman**, a contesting candidate from **86- Nowgong** Assembly Constituency in General Election to Legislative Assembly of Assam, 2021 has failed to lodge the account of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on basis of the said report of the District Election Officer, a 'Show-Cause Notice' No. 76/AS-LA/86/2021/CEMS-I, dated 14th October, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Jiabur Rahman**, for not lodging of the account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said 'Show Cause Notice' and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Jiabur Rahman** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of his election expenses with the District Election Officer, **Nagaon** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the **DEO, Nagaon** has reported that the said 'Show Cause Notice' was served to **Jiabur Rahman** on 07.01.2022; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Nagaon** in his Supplementary Report no. NE.13/2020/Pt.III/82; dated 10.05.2022 and subsequent Supplementary Report no. NE.13/2020/Pt.III/142; dated 27.02.2025 on account of the candidate received through CEO, Assam letter No. ELE.323/2021/308; dated 12.05.2022 and letter No. ELE.92/2022/142; dated 17.03.2025 respectively has reported that **Jiabor Rahman** has not submitted any representation or statement of account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Jiabor Rahman** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(i) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act, and

(j) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on basis of the facts and available records, the Commission is satisfied that **Jiabor Rahman** has failed to lodge the account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Jiabor Rahman**, resident of **Vill-Itapara, Magani Pathar, PO-Solmari, PS-Nagaon Sadar, Dist:- Nagaon, Pin-782002, Assam** and a contesting candidate from **86- Nowgong** Assembly Constituency of G.E. to LA of Assam, 2021, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

(RAKESH KUMAR)
SECRETARY

भारत निर्वाचन आयोग ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

सं. 76/एस-एलए/2021/सीईएमएस-1

दिनांक:

15 जुलाई, 2025

24 आषाढ़, 1947 (शक)

आदेश

यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 464/एस-एलए/2021 दिनांक 05 मार्च, 2021 के अनुसरण में 86-नौगोंग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए असम विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2021 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, असम के 86-नौगोंग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2021 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 02 मई, 2021 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 01 जून, 2021 थी; और

यतः, आयोग ने कोविड-19 की तत्कालीन वैश्विक महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अभ्यर्थी द्वारा 31 जुलाई, 2021 तक विलंब से लेखा प्रस्तुत करने के किसी भी मामले को माफ करने का निर्णय लिया; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, असम से उनके दिनांक 15.09.2021 के पत्र सं. ELE.283/2021/58 के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, नगाँव की दिनांक 07.06.2021 की रिपोर्ट के अनुसार, जियाबूर रहमान, जो असम के 86-नौगोंग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2021 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नगाँव की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत जियाबूर रहमान को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/एस-एलए/86/2021 सीईएमएस-1, दिनांक 14.10.2021 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, जियाबूर रहमान को लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, नगाँव जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नगाँव ने अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस जियाबूर रहमान को दिनांक 07.01.2022 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नगाँव ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट पत्र संख्या NE.13/2020/Pt.III/82, दिनांक 10.05.2022 एवं अनुपूरक रिपोर्ट के बाद की रिपोर्ट पत्र संख्या NE.13/2020/Pt.III/142, दिनांक 27.02.2025 द्वारा अग्रेषित जो कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, असम के पत्र सं. ELE.323/2021/308, दिनांक 12.05.2022 एवं पत्र सं. ELE.92/2022/142, दिनांक 17.03.2025 द्वारा प्राप्त हुई है, उसमें सूचित किया है कि जियाबूर रहमान ने निर्वाचन व्यय के लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, जियाबूर रहमान ने

विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

.. यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरहित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित होगा।

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि जियाबूर रहमान अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि असम के 86-नौगाँव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2021 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, जियाबूर रहमान, निवासी- गाँव इटापारा, मगानी पथर, पोस्ट ऑफिस सोलमारी, पुलिस स्टेशन- नगाँव सदर, जिला-नगाँव, पिन - 782002, असम, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित होंगे।

(राकेश कुमार)

सचिव

ANURAG GOEL,
Chief Electoral Officer, Assam,
Dispur, Guwahati-06.